बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधि0सं0– निग / सारा–01 (पथ) आरोप–33 / 2019 7338(3) पटना, दिनांक 03/10/26

श्री विजय शंकर प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, डिहरी–ऑन–सोन सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक–29.02.2020) सहायक अभियंता के पथ प्रमंडल, डिहरी–ऑन–सोन के पदस्थापन अवधि में अकबरपुर–यदुनाथपुर पथ के कि०मी० 24.50 से 45.60 (कुल 21.10 कि०मी०) में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के प्राक्कलन गठन में पायी गयी अनियमितता के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–9660 (एस) दिनांक 06.11.2019 के द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा संकल्प ज्ञापांक–9837 (एस) दिनांक 13.11.2019 के द्वारा उनके विरूद्ध गठित आरोपों के लिए अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। श्री प्रसाद के दिनांक 29.02.2020 को सेवानिवृत्ति हो जाने की स्थिति में विभागीय अधिसूचना सं०–36 (एस) दिनांक 06.01.2022 द्वारा श्री प्रसाद को सेवानिवृत्ति की तिथि 29.02.2020 के अपराह्त से निलम्बन मुक्त किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–146 अनु०, दिनाक 31.03.2023 के द्वारा एतद संबंधी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित सभी चार आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होकर इसकी प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्राक–3770 (एस) दिनांक 03.07.2023 के द्वारा श्री प्रसाद से लिखित अभिकथन के रूप में द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री प्रसाद ने पत्रांक–32, दिनांक 16.08.2023 के द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित किया, जिसके विभागीय समीक्षोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–3942 (एस) दिनांक 19.05.2025 के द्वारा श्री प्रसाद के पेंशन से 05 (पाँच) वर्षो के लिए 05 प्रतिशत की कटौती का दण्ड संसूचित किया गया। साथ ही इनके निलम्बन अवधि दिनांक 06.11.2019 से 29.02.2020 को जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने परन्तु उक्त अवधि को अन्य प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. श्री प्रसाद के निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक–1402 (एस) दिनांक 16.02.2026 एवं स्मार पत्रांक–4976 (एस) दिनांक 19.07.2026 के द्वारा श्री प्रसाद से अभ्यावेदन की मांग की गयी, उक्त के आलोक में श्री प्रसाद के पत्रांक–शून्य अनु०, दिनांक 02.09.2026 द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में उल्लेखित किया है कि विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में उनके निलंबन अवधि दिनांक 06.11.2019 से 29.02.2020 को अन्य प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में स्वीकार करते हुए विनियमित करने की कृपा की जाय। श्री प्रसाद के अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री प्रसाद के निलंबन अवधि के संबंध में विभाग द्वारा लिये गये निर्णय पर इनके द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

कृ०पृ०उ०

(55) आई० टी० मैनेजर

4. अतः श्री प्रसाद के निलंबन अवधि के विनियमन से संबंधित अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य अनु०, दिनांक 02.09.2026 में दी गयी सहमति के आलोक में उनके निलंबन अवधि दिनांक 06.11.2019 से 29.02.2020 तक को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :–

"श्री विजय शंकर प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत को उनके निलंबन अवधि में दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परन्तु इस अवधि को अन्य प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में परिगणित किया जायेगा।"

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–01 (पथ) आरोप–33/2019 **पटना, दिनांक.....**

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वि०वै०दा०नि०को०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–01 (पथ) आरोप–33/2019 **पटना, दिनांक.....**

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह०/–

सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–01 (पथ) आरोप–33/2019 **पटना, दिनांक.....**

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, डेहरी–ऑन–सोन /अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/3/6/13/14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री विजय शंकर प्रसाद, सेवानिवृत सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, पत्राचार का पता–ग्राम–अतरदह, आनन्द मार्ग रोड, पोस्ट–रमना, थाना–सदर, जिला–मुजफ्फरपुर, बिहार, पिन–842002 (मोबाईल सं०–7903383810)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–

सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) आरोप–33/2019– /पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–01 (पथ) आरोप–33/2019– 7339(3) पटना, दिनांक 09/10/26

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।